न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील भरण पोषण संख्या 12/2024 (GCMS 2024/232)

1. **नत्थू राम वर्मा** पुत्र गुरदयाल राम जाति कुम्हार आयु 73 वर्ष निवासी मकान नम्बर 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
2. **निर्मला वर्मा** पत्नी नत्थू राम वर्मा जाति कुम्हार आयु 69 वर्ष निवासी मकान नम्बर 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

— **अपीलांटस**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **देवेन्द्र जालंधरा** पुत्र नत्थू राम वर्मा जाति कुम्हार आयु 41 वर्ष निवासी मकान नम्बर 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
2. **मनींद्र कौर** पत्नी देवेन्द्र जालंधरा जाति कुम्हार आयु 34 वर्ष निवासी मकान नम्बर 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

— **रेस्पोडेंटस**

21.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नत्थूराम वर्मा एवं रेस्पोडेंट संख्या 01— देवेन्द्र जालंधरा, रेस्पोडेंट संख्या 2— मनींद्र कौर उपस्थित हुए थे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की है, शामिल पत्रावली है। अपीलार्थी को सुना गया।

संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार से है कि

प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्ध अवस्था लिये हुए है तथा 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर पर स्थायी निवास कर रहे है एवं अधिनियम में प्राबधित आयु सीमा अर्जित कर वृद्धा अवस्था श्रेणी में जो कि याचिका करने की अधिकारित रखते है। अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थीगण का पुत्र है, अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थीगण की पुत्रवधु है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पुत्र का समुचित पालन पोषण किया उसे अच्छी शिक्षा दिलवायी तथा अप्रार्थी संख्या 2 के साथ विवाह सम्पन्न करवाया ताकि प्रार्थीगण के बुढापे का सहारा बन सके यह कि प्रार्थी संख्या 1 भारत संचार निगम लिमिटेड से सेवानिवृत कर्मचारी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खून पसीने की कमाई से मकान संख्या 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का निर्माण किया हुआ है, जिसका पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

यूआईटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी के नाम से जारी किया हुआ है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के मकान में व्यवसायिक गतिविधि संचालित कर रहे है। बच्चों के आवागमन से घर में दे रात तक शोर रहता है। प्रार्थीगण वृद्ध है अधिक शोर शराबा सहन नहीं कर सकते है। व्यावसायिक गतिविधियों के कारण बिजली का बिल अधिक आता है तथा वाजिब हिस्सा मांगने पर प्रार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने मकान के ऊपर का पोर्शन में रहने के लिए अप्रार्थीगण को इस शर्त पर दिया था कि वह अपने वृद्ध माता—पिता की सेवा चाकरी व सार संभाल करते रहेंगे तथा बीमार होने पर उनकी दवाईयों का ध्यान रखेगें। प्रार्थीगण अब अधिक बुजुर्ग हो चुके है अपनी जमा पूंजी मकान निर्माण में लगाई व इनको उच्च शिक्षा दिलाने में काफी खर्चा किया है। अप्रार्थी संख्या 1 को एमफील फिजिक्स तक पढाया हैं। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण सर्दियों में ऊपर धूप में नहीं बैठने देते है एवं ऊपर कपड़े भी नहीं सुकाने देते है। मजबूरन घर के दरवाजों पर कपड़े सुखाने पडते है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के ऊपरी मंजिल पर रखे एवं स्टोर में रखे कीमती लकडी का सामान गोले, स्लीपर, बने हुए तख्ते फट्टिया, बांस अन्य सामान को जलाकर नुकसान पहुंचाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। दोनों मिलकर प्रतिमाह 60—70 हजार रूपये की आय प्राप्त कर रहे है। यह अलग रहने में सक्षम है तथा ऊपर के पोर्शन में रखे इन्वर्टर खराब हुआ पड़ा है, जिसे अभी तक अप्रार्थीगण ने सही नहीं करवाया है और ना ही प्रार्थीगण को करवाने दिया। गर्मी में बिजली चले जाने पर प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। इसलिए अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दि[illegible]9.2024 को अपास्त करने की प्रार्थना की है और प[illegible]3 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर को अप्रार्थीगण से खाली करवाने, प्रार्थीग[illegible] के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट ना करने की प्रार्थना की है

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Pardu
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी श्री नत्थू राम वर्मा ने लिखित बहस में कथन किया है कि उनके द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.2024 को खारिज कर दिया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थीगण का पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 2, प्रार्थीगण की पुत्रवधु है। प्रार्थी संख्या 1 बीएसएनएल का सेवानिवृत कर्मचारी है तथा खून पसीने की कमाई से मकान संख्या 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का निर्माण किया हुआ है तथा जिसका पट्टा यूआईटी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी के नाम से जारी हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ हमेश ही क्रूरता की जाती रही है इसलिए प्रार्थीगण काफी असहज महसूस कर रहे है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न दृष्टांतों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किए है कि ऐसी सूरत में जब कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को साथ नहीं रखना चाहते तो वह उनको अपने मकान से अपनी सम्पत्ति से बेदखल कर सकते है। उक्त समस्त तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया जाकर अत्यंत भारी कानूनी भूल की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी का प्रकरण यह है कि जब कोई मकान संपत्ति वरिष्ठ नागरिक के नाम से हो और बच्चों द्वारा उसके साथ क्रूरता की जा रही हो तो यह जरूरी नही है कि वह बच्चों को अपने साथ रखे। अप्रार्थीगण द्वारा भारी क्रूरता प्रार्थीगण के साथ की जा रही है तथा प्रार्थीगण को झूठे मुकदमों में [illegible] जा रहा है। पूर्व में भी श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रस्तुत कई प्रकरणों में [illegible] प्रकार के आदेश पारित किए है कि अगर संतान द्वारा माँ बाप के साथ क्रूरता की जाती है तो वह संतान को अपने मकान/संपत्ति को बेदखल करने का आदेश पारित कर सकती है। इसके सम्बन्ध अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के साथ इस न्यायालय के पूर्ण निर्णय की प्रति पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी संख्या 1 बीएसएनएल से रिटायर्ड है एवं मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा है इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से किसी प्रकार की कोई भरण पोषण व निर्वाह भत्ते की मांग नहीं की है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि याचिका की पोषणीयता की समाप्त हो जाएगी। संतान का यह दायित्व होता है कि वह अपने मां–बाप की सार–संभाल करें, उन्हें दवा दारू दिलवाए, उनकी सेवा चाकरी करे एवं उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार न करे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ भारी मात्रा में क्रूरता व दुर्व्यवहार किया गया है इस प्रकार भरण–पोषण न मांगे जाने की सूरत में भी भी पोषणीयता समाप्त नहीं जो जाती। संतान के दायित्व भरण–पोषण के अलावा भी होते है जिनका निर्वहन अप्रार्थी के द्वारा नहीं किया गया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण ने अपने पक्ष में कथन किया है कि वह प्राइवेट नौकरी करता है, जबकि अप्राथी एमफिल तक शिक्षित है तथा कॉलेज में लेक्चरर की ड्यूटी करता है तथा ट्यूशन भी पढ़ाता है तथा भारी मात्रा में आय भी अर्जित कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कथन न्यायालय की हमदर्दी प्राप्त करने हेतु अंकित किए है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को झूठे मुकदमें की धमकी दी जाती है, अनहोनी कारित करने का भी उत्पन्न किया जाता है तथा सुसाइड इत्यादि की धमकी भी दी जाती है तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय में भी उठाए थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया था जबकि कानून की यह मंशा है कि वह माता–पिता व वरिष्ठजनों को संरक्षण प्रदान कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों पर कोई गौर ना किया जाकर भारी कानूनी भूल की है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मकान संख्या 7 एफ 13 का पट्टा प्रार्थीगण के नाम से जारीशुदा है। अप्रार्थीगण द्वारा यह तथ्य गलत अंकित किए है कि वह प्रार्थीगण के प्रति कोई आदर भाव रखते है। जहां तक जद्दी जायदाद की कृषि भूमि चक 11 बीएनडब्ल्यू मुरब्बा नं. 64 का प्रश्न है वह कृषि भूमि प्रार्थी के पास मात्र 0.404 हैक्टयेर है। उक्त जमीन के संबंध में आज भी विवाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में विचाराधीन है। इसके अलावा कोई बनवाली में मकान 30' गुणा 60' के संबंध में लिखा है, जिस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी लिखा है कि उक्त संपत्ति जद्दी–जायदाद से हक अर्जित कर बनाई गई है इस संबंध में भी अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त मकान संख्या 7 एफ 13 कोई दादालाई सम्पत्ति से बनाया गया हो। जहां तक कृषि भूमि का प्रश्न है, इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 को अधिकार है कि वह उपखंड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष पार्टी बनकर अपना पक्ष रख सकता है। कानूनन जब बच्चों द्वारा माता–पिता को तंग परेशान किया जाता है तो वह अपने बच्चों के साथ रखें या ना रखें यह उनकी मर्जी पर निर्भर करता है तथा श्रीमान् न्यायालय को मां–बाप, वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण दिलवाना चाहिए।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में धारा 23 का हवाला दिया है जिससे श्रीमान न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। प्रार्थी का प्रकरण दस्तावेज को शून्य कराने का है ही नहीं। प्रार्थी का प्रकरण यह है कि बच्चों द्वारा अपने बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है ऐसी सूरत में प्रार्थी श्रीमान् न्यायालय से अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण दिलाए जाने की प्रार्थना करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी बिलों का भुगतान नहीं किया गया है जबकि समस्त बिलों का भुगतान प्रार्थी द्वारा किया जा रहा है, अगर अप्रार्थी द्वारा बिलों का भुगतान किया गया है तो उक्त रसीदें श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी अपील में व प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि मकान में ऊपर का पोर्शयन रहने के लिए अप्रार्थीगण को इस शर्त पर दिया गया था कि वह प्रार्थीगण की सेवा चाकरी व सार संभाल करेंगे लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण की सेवा चाकरी व सार संभाल नहीं की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य का पूर्ण रूप से विरोध भी नहीं किया गया है ऐसी सूरत में यह साबित होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की सेवा चाकरी व सार संभाल नहीं की जा रही है तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इसप्रकार माता–पिता की मर्जी है कि वह अपनी संतान को साथ में रखे या न रखें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर ना किया जाकर कानूनी भूल की है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण संख्या 19/2024 शीर्षक नत्थूराम व अन्य बनाम देवेन्द्र जालंधरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2024 को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी के पट्टाशुदा मकान संख्या 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर के ऊपर के पोर्शयन में जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज कब्जा किया हुआ है, को खाली करवाए जाने की कृपा करें तथा अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार न करें तथा प्रार्थीगण के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट न करें, सामान को खुद–बुर्द न करें, बिजली का बिल जो प्रार्थीगण द्वारा अदा किया जा चुका है, वह अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

इसके विरूद्ध अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा मूल याचिका संख्या 19/2024, निर्णय दिनांक 25.09.2024 को खारिज की गई थी, इसलिए माननीय अधीनस्थ प्राधिकारवान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 25.09.2024 को पारित किये गये खारिज विधिक तथ्यात्मक दृष्टि से समुचित है, विधिक सम्मत है, जिसे अपास्त किये जाने का अथवा परिवर्तित किये जाने का कतई कोई तथ्य आधार नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पक्षकारान के मध्य कतई किसी स्तर पर कोई हस्तांतरण विलेख/स्वामित्व अंतरण दस्तावेज का पंजीयन निष्पादन हुआ ही नही है, वर्णित के अभाव में धारा 23 माता –पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम शीर्षक प्रकरण में प्रभावी हीं नहीं होती, क्योंकि कोई दस्तावेज निष्पादन हीं नही है इसलिए किसी दस्तावेज हस्तांतरण विलेख को अकृत और शून्य घोषित करवाने का आधार ही उत्पन्न नहीं होता, इसलिए माननीय अधीनस्थ प्राधिकारवान उपखण्ड अधिकारी का निर्णय कतई परिवर्तित किये जाने योग्य नहीं है बल्कि पारित किया गया याचिका खारिजी का आदेश संपुष्ट किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी श्री नत्थूराम वर्मा, भारत संचार निगर लिमिटेड अर्थात केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण अधीन विभाग से सीनियर टेलिफोन ऑपरेटर के पद से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं से सेवनिवृत हुए हैं जो कि मासिक पेंशन प्राप्त करते है, वर्णित तथ्य की रूह से पुनः आधार तथ्य है कि श्री नत्थूराम जी वर्मा पेंशनधारक होने के तथ्य अधीन विधिकतः आश्रित श्रेणी में नहीं आते, जो कि निश्चय ही यह भी तथ्य है कि प्रत्येक पुरूष [illegible] के लिए विधितः उत्तरदायी होता है, इस प्रकार अपीलार्थी पक्ष इस [illegible]ज्ञान तथ्य के कारण ही प्रत्यर्थी से भरण पोषण निर्वाह भत्ता मद में कोई मांग नहीं की गई है, क्योंकि विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

(Manju)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रावधानों की रूह में यदि अपीलार्थी पेंशनधारक न हो और उनके पास इस प्रकार आय का स्त्रोत न होता और आश्रित अवस्था में होते तो उस स्थिति में ही श्रीमान के समक्ष मासिक निर्वाह भत्ता की मांग पोषणीय होती, क्योंकि आश्रित अवस्था की स्थिति की शीर्षक याचिका के अपीलार्थी पक्ष में नही है, इसी तथ्य के संज्ञान अधीन शीर्षक याचिका के अपीलार्थी द्वारा मासिक निर्वाह भत्ता की मद में कोई मांग नहीं की गई है, इस तथ्य की रूह में भी याचिका की पोषणीयता कतई समाप्त होती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपीलार्थी पक्ष द्वारा माननीय प्राधिकारवान उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के सक्षम वरिष्ठ नागरिक अधिनियम में याचिका प्रस्तुत की गई थी, जो कि आधार तथ्यों व उपरोक्त विधिक तथ्य आधारों की रूह में याचिका सारहीन होने के कारण सही खारिज की गई है, जो हस्तान्तरण विलेख पक्षकारान में अचल सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित ही नहीं हुआ था, जो कि निष्पादन प्रथम विधिक अनिवार्यता है। धारा 23 सीनियर सिटिजन एक्ट में याचिका के विचारण के लिए कोई सम्पत्ति हस्तांतरण विलेख यथा विक्रय विलेख–उपहार विलेख–किरायानामा–मुख्तयारनामा आदि कोई भी दस्तावेज निष्पादान ही नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में केवल इविक्शन के लिए याचिका पोषणीय नहीं है क्योकि धारा 23 सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अतिक्रमण करके एक्ट के अन्तर्गत केवल इविक्शन विचारण की क्षेत्राधिकारिता प्रदान ही नहीं करती है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 उत्तरदाता के पुत्र एवं पुत्रवधु है जिनके एक पुत्र संतान है जिसकी आयु 6 वर्ष है जो कि हालिया यूकेजी में अध्ययनरत [illegible] है कि उत्तरदाता प्रार्थी संख्या 1 देवेन्द्र प्राईवेट नौकरी में है जिसमें [illegible] वेतनमान नहीं मिलते, न्यूनतम वेतन स्तर से भी कम वेतन पाकर अपना व अपनी पत्नी जो कि घरेलू स्त्री है व नाबालिक पुत्र का भरण पोषण बेमुश्किल करता है, इस तथ्य को भी नकारा नहीं जा सकता, ना ही अपीलार्थी ने हलफिया नकारा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को अकाल मौत मरने व सुसाइड नोट लिखने की धमकिया देते है, यह भी झूठा कथन अपीलार्थी ने किया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी दी जाती है और अनहोनी कारित करने का भय उत्पन्न किया गया है, यह भी प्रार्थीगण ने झूठा कथन किया है कि प्रत्यर्थीगण कुछ भी गलत कदम उठाकर प्रार्थीगण के जीवन को संकट में डालने का कथन करते है

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण मकान की छत पर धूप में नहीं बैठने देते, न ही छत पर कपड़े सुखाने देते। प्रार्थीगण का यह कथन कतई झूठा है, जिसमें प्रार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण पर कोई सामान सम्पत्ति नुकसान पहुंचाने का आक्षेप लगाया है, प्रार्थीगण ज्यादातर बीमार रहते है, इस आश्य का किया गया कथन कतई झूठा है। तथ्य यह है कि वृद्धावस्था का दैनिक जीवनक्रम में कतई कोई रोग उत्पन्न होना पृथक विषय है अन्यथा तथ्य है कि प्रार्थीगण के ऐसा कोई रोग नहीं है, जिसमें उनकी दैनिक दिनचर्या सामान्य आवागमन व अपने दैनिक नित्यक्रम का निर्वहन करने में असमर्थता के जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई हो, ऐसा कोई तथ्य आधार नहीं है, अप्रार्थीगण पर व्यवहार क्रूरता करने, मारपीट करने, दुर्व्यवहार करने, कोई सामान खुर्दबुर्द करने के आक्षेप भी झूठे और साजिशी है, यदि ऐसा कोई तथ्य होता तो प्रार्थीगण जो कि हालिया मुकदमेबाजी बना रहे है निश्चय ही प्राधिकारवान पुलिस थाना में दाण्डिक अभियोजन प्रारम्भ करते, प्रत्यर्थीगण पर चार्जशीट दायर होती, प्रत्यर्थीगण अभियोजित भी होते एवं निश्चय ही प्रत्यर्थीगण को प्राधिकारवान के समक्ष दाण्डिक कार्यवाही में पाबन्द भी होना पड़ता, लेकिन ऐसा कतई कुछ भी होना स्वतः प्रमाणक है कि शीर्षक याचिका के अपीलार्थी ने दुराश्य अधीन आधार कथन सोचकर इस याचिका में प्रत्यर्थी पर झूठे आरोप लगाये है, जिनकी पोषणीयता एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

विनिश्चय विचारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में समरी ट्रायल में विधिकतः अनुमत ही नही है न ही हो सकती है। अपीलार्थी द्वारा वांछित अनुतोष जो कि मूल याचिका नत्थू वर्मा आदि बनाम देवेन्द्र जालंधरा आदि में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मांग किया गया एवं निरन्तरता में माननीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष मांग किया जा रहा है, वह विचारण पोषणीय हीं नहीं है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने पिता व माता के प्रति आज भी आदर भाव रखते है, यद्यपि उनके द्वारा लगाये गये झूठे आक्षेपों से आहत आवश्य हुए है इसलिए विधिक चाराजोरी की अनिवार्यता की रूह में लेखनीय है कि वस्तुतः अपीलार्थी संख्या 1 की जद्दी जायदाद गावं बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 64 चक 11 बीएनडब्ल्यू में स्थित है, वर्णित के अलावा जद्दी सम्पत्ति में एक भूखण्ड पैमाइश 30′ गुणा 60′ फुट गांव बनवाली, जो कि अपीलार्थी संख्या 1 श्री नत्थूराम जी के नाम दर्ज हुआ, वर्णित कुल सम्पत्तियों मे भी नत्थूराम जी व उनके भाईयों सुखदेव राम व महेन्द्र राम तथा बहनों मूर्ति देवी व ज्ञानों देवी का कतई दबाव रहित और विवाद रहित समझौता सहमत हुआ, लेखनीय है कि श्री नत्थूराम जी ने अपने परिवार सहित श्रीगंगानगर में स्थानीय आवासरत हो जाना चाहते थे, गांव बनवाली में स्थाई रिहाइश के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्हें श्रीगंगानगर में आवास सम्पत्ति बनाने के लिए राशि आवश्यकता थी, वर्णित की रूह में ही भाई बहनों में विचारण हुआ और भाईयों ने सहमत [illegible] प्रतिफल भुगतान समझौता की रूह में जद्दी जायदाद के एक अंश [illegible] प्रतिफल स्वरूप राशि देना सहमत किया, जिसकी रूह में श्री नत्थूराम जी ने बनवाली में हासिल किया हुआ 30′ गुणा 60′ फुट का पैमाइश भूखण्ड अपने भाईयों सुखदेव राम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

महेन्द्र राम के हक में छोड़ना घोषित किया जो कि घरू बंटवारा की रूह में था और बहनों ने भी अपना हक हकूक छोड़ते हुए अपने भाईयों सुखदेव राम व महेन्द्र राम के हक में हक परित्याग गांव बनवाली की जद्दी जायदादों पर किया, भले ही भूखण्ड संख्या 7 एफ 13 का पट्टा श्री नत्थूरामजी के नाम से है लेकिन यह सम्पत्ति प्रथमतः जद्दी जायदाद से भागतः हक अर्जित करके प्रथमतः तत्कालिक वार्ड नं. 14, मकान नं. 101, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनी, फिर इसे बेचकर नत्थूराम जी ने पूर्वानुसार ही जद्दी जायदादों से अर्जित धन सम्पत्ति से पहले से बने हुए भूखण्ड सम्पत्ति 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर पर मकान बनाया, निश्चय ही यह प्रत्यर्थी संख्या 1 की दादा लाई अचल सम्पत्ति से अर्जित सम्पत्ति से प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता नत्थूराम जी ने बनाया है, दादा लाई सम्पत्ति होने के कारण मालिकाना हक की बात करने तो प्रत्यर्थी संख्या 1 का भी अंशतः हक—हकूक बनता है, यह शाश्वत है कि सामान्त अनुक्रम में प्रत्येक परिवार का प्रारम्भ परिवार के मुखिया के प्रति आदर भाव का ही होता है यही प्रत्यर्थी संख्या 1 के जीवन में हुआ कि दादा लाई सम्पत्ति से 7 ए 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर के भूखण्ड पर मकान तामीर हुआ, श्री नत्थूराम जी परिवार के मुखिया थे उनके प्रति आदर भाव सम्मान स्वभाविक था और इसी आदर भाव और सम्मान में आवास मकान 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का पट्टा केवल श्री नत्थूरामजी के नाम से बनने पर कोई विवाद नहीं किया, अन्यथा हालिया उत्पन्न की गई झूठे अरोपी की रूह में उत्तरदाता विधिक चाराजोरी जो कि प्राधिकावान सिविल न्यायालय [illegible] अनुमत है, का अधिकार सुरक्षित रखता है। अपीलार्थी [illegible] सुसाइड नोट लिखने की धमकी देने, झूठे मुक[illegible] धमकी देने के आरोप झूठे लगाये है, किसी सशर्त अंतरण का कथन भी मिथ्या और बेईमानी है, वस्तुतः कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अंतरण विलेख न लिखा गया, न निष्पादित हुआ, न पंजीयन हुआ। तथ्य है कि हालिया प्रत्यर्थी ने किसी भी प्राधिकारवान न्यायालय में स्वामित्व दावा किया ही नही है, किन्तु यह भी शाश्वत है कि 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर प्रार्थी की स्वःअर्जित सम्पत्ति होने का कथन बेईमानी है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विधिक भूल विनिश्चय में नहीं की है, वर्णित कथन प्रमाणन शीर्षक अपील में अपीलार्थी के भाईयों के हलफिया कथन जो कि शपथ पत्र स्वरूप प्रस्तुत हुए से भी होते है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से अवश्य ही अपीलार्थी द्वारा घरेलू हिंसा कारित की जाती है, जिस पर पहले भी अपीलार्थी ने प्राधिकारवान न्यायालय में पुनरावृति नहीं करने का अनुरोध कथन किया था, जिसका पुनरावृति हालिया फिर से की जा रही है, प्रत्यर्थी संख्या 2 इस पर अपीलार्थी के विरूद्ध विधिक चाराजोरी का अधिकार रखती है, वर्णित क्रम में आधार दस्तावेज की रूह में लेखनीय है कि शीर्षक अपीलार्थीगण के विरूद्ध उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत अन्तर्गत धारा 12, 18, 19, 20, 21, 22 डीवीएक्ट में याचिका शीर्षक मनिन्दर कौर उर्फ बिमला देवी बनाम नत्थू राम वर्मा आदि से दायर करवाया हुआ है जो कि वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, डबवाली जिला सिरसा की अदालत में प्रकरण संख्या 14/2024 पर जैरकार है, सबज्यूडिस प्रकरण के संज्ञान तथ्य अधीन भी पोषणीय नहीं है, जिसमें बार–बार नोटिस तलबी जारी होने के बावजूद शीर्षक अपीलार्थी नत्थू राम वर्मा आदि तामील से गुरेज करके उपस्थिति होने से बच रहें है, तथ्य है कि वर्णित [illegible] ही पहले नत्थूराम वर्मा ने प्रताड़ना की पुनरावृत्ति नहीं करने [illegible] देकर जैरकार डीवीएक्ट प्रकरण में कार्यवाही निवारित करवाई [illegible] जो कि पुनः उक्त के विरूद्ध पत्रावली ऑपन हुई है एवं हालिया त[illegible] नोटिस उक्त नत्थूराम आदि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जारी हुए है जिसमें तारीख पेशी 02.04.2025 निश्चित है, वर्णित जैरकार प्रकरण के तथ्य को जाकर व दबाव बनाने के लिए ही उक्त परिवाद एवं हालिया अपील सिनियर सिटिजन एक्ट मे श्री नत्थूराम आदि द्वारा दायर की है एवं झूठे कथन करके साजिशी आक्षेप लगाकर जद्दी जायदाद से अर्जित पूंजी विनियोजन से बने मकान से प्रार्थी उत्तरदाता के पक्ष को बेघर कर देना चाहते है, जो कि आदतन मन प्रकृति के आचरण को दोहरा रहे है, तथ्य है कि बड़े पुत्र को भी इस तरह जो कि सरकारी नौकरी में था परिवार सहित प्रताडित किया गया, उसकी शिकायतों का दौर चलाया गया, नौकरी दाव पर लगाने की धमकियां दी गई। वह सरकारी नौकरी में था इसलिए आवास सुविधा विभाग स्तर से मिल जाने के कारण वह उक्त मकान छोड़कर चला गया था, इसी प्रताडना पुनरावृति शीर्षक अपील के उत्तरदाता पक्ष से की जा रही है, जो विधिकतः एवं तथ्यों के रूह में कतई पोषणीय नहीं है, क्योंकि कोई हस्तांतरण विलेख जैसा दस्तावेज सेवा सत्कार की शर्त पर व अन्यथा भी निष्पादन ही नहीं हुआ, जो कि धारा 23 में प्रकरण पोषणीयता के लिए अनिवार्य आवश्यकता है एवं जब ऐसा दस्तावेज कोई निष्पादन हीं नहीं हुआ तो स्वतः की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि अपील विधिक तथ्यों व आधारों ही रूह में पोषणीय नहीं है, अधीनस्थ प्राधिकारवान न्यायालय ने सूक्ष्म विचारण करके निष्पक्ष एवं न्याय सम्मत विनिश्चिय पारित किया है, जो कि संपुष्ट किये जाने योग्य है। इसलिए अप्रार्थीगण ने अपीलार्थी की अपील खारिज करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 21, 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

के तहत प्रस्तुत प्रकरण में निवेदन किया था कि प्रार्थी का मकान 7 एफ 13 जवाहरनगर अप्रार्थीगण से तुरन्त खाली करवाया जावे, अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार न करे तथा प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने से कठोरता से पाबंद किया जावे एवं प्रार्थी के मकान के ऊपर पोर्शन में सामान को खुर्द–बुर्द न करने के लिए पाबन्द किया जावे, मकान में रखे सामान को क्षति ना पहुंचाएं तथा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से 70,000–80,000/– रूपये लगभग बिजली का बिल अदा किया जा चुका है, को दिलवाने की प्रार्थना करने पर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनांक 25.09.2024 को निर्णय पारित कर निम्न आदेश दिया गया थाः

> **चूंकि प्रार्थी भारत संचार निगर लिमिटेड (बीएसएनएल) से सीनियर टी.ओ. पद से रिटार्यड है तथा सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त कर रहा है जिससे वह अपना एवं अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम है। अतः इस हद तक प्रार्थीगण को कोई अनुतोष देय नहीं है। माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 अनुसार प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी सम्पत्ति मकान संख्या 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का दान के रूप में या अन्यथा अंतरण अप्रार्थीगण के पक्ष में किसी शर्त के अधीन नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रकरण भरण पोषण का नहीं होकर सम्पत्ति विवाद है जो इस न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता का नहीं है। अतः इस हद तक प्रार्थी को कोई अनुतोष देय नहीं है। प्रार्थी मकान के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।**
>
> **अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 25.09.2024 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है और किसी प्रकार के भरण पोषण की मांग नहीं की है।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय **है:**

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है** इसलिए सपना अप्रार्थी संख्या 2 – मनींद्र कौर पुत्रवधु है, इसलिए **अपीलार्थी, अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

जहां तक विवादित मकान नम्बर 7 एफ 13 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर का प्रश्न है, जो प्रार्थी के नाम से पट्टाशुदा का मकान है, जिसे प्रार्थी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण से खाली करवाने की मांग की है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2(ख) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत भरण पोषण के तहत भोजन, कपड़े, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है। अपीलार्थी माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उक्त सम्पत्ति के विवाद के लिए किसी प्रकार की राहत प्राप्त नहीं कर सकते है। अपीलार्थी **उक्त सम्पत्ति के विवाद हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी/अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।**

इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अपीलार्थीगण भरण पोषण करने में असमर्थ है और इस कारण अपने पुत्र देवेन्द्र जालंधरा से भरण पोषण का हकदार है अथवा नहीं? इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 4 निम्न प्रावधान है :

> **4. माता–पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण–**
>
> **(1) माता– पिता को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक, जो अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पति से स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ है–**
>
> **(i) माता–पिता या पितामही, पितामाह के विषय में अपने सन्तानो में से एक या अधिक के विरूद्ध, जो अव्यस्क नही है।**
>
> **(ii) सन्तानहीन वरिष्ठ नागरिक के मामले में धारा 2 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट अपने ऐसे सम्बन्धी के विरूद्ध, धारा 5 के अधीन आवेदन करने का हकदार होगा।**
>
> **(2) वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण करने हेतु सन्तानो या सम्बन्धी, यथास्थिति, की आबद्धता का विस्तार ऐसे नागरिको की आवश्यकता तक है, जिससे वरिष्ठ नागरिक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

(3) सन्तानो की उसके माता–पिता का भरण पोषण करने की आबद्धता का विस्तार ऐसे माता–पिता या पिता या माता या दोनो, यथास्थिति की आवश्यकता तक है, जिससे ऐसे माता पिता सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(4) कोई व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक का सम्बन्धी है और जिसके पास पर्याप्त साधन है, ऐसे वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण करेगा, यदि वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति का कब्जाधारी है या वह ऐसे वरिष्ठ नागरिक की सम्पति उतराधिकार में प्राप्त करेगाः

परन्तु जहां एक से अधिक सम्बन्धी वरिष्ठ नागरिक की सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करने के हकदार है, वहां भरण पोषण ऐसे सम्बन्धी द्वारा उस अनुपात में सन्देय होगा, जिसमें वे उसकी सम्पति को उतराधिकार में प्राप्त करेंगें।

उक्त अधिनियम की धारा 4 के अनुसार माता–पिता अपनी संतानो से तभी भरण पोषण प्राप्त कर सकते है, यदि वे अपने अर्जन या अपने स्वामित्वाधीन सम्पत्ति से **स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में धारा 9(2) के अनुसार 10,000/– तक भरण पोषण दिलाये जाने का प्रावधान है।** किन्तु अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2024 अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अपने मकान से बेदखल करने एवं भरण पोषण राशि दिलाने की मांग नहीं की है। अपीलार्थी स्वयं भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से रिटायर्ड सीनियर टीओ है, जहां से उसे पेंशन प्राप्त होती है, जिसे अपीलार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है। इसलिए **अपीलार्थी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 अन्तर्गत अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। फिर भी माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावनाओं को देखते हुए अप्रार्थीगण का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा अपीलार्थीगण को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील निस्तारित की जाती है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 25.09.224 यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:41:04 IST
Reason: SelfAttested